

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016—चैत्र 23, शक 1938

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 2-13-12-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी-15.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 71, दिनांक 04 फरवरी 2016 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 4 फरवरी 2016 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई है, जो कि ऑनलाईन पोर्टल पर त्रुटिवश परिवहन विभाग के नाम के स्थान पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रदर्शित हो रहा है एवं अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 142 सेवा क्रमांक 15.7 के कॉलम (6) में प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की निश्चित समय-सीमा पन्द्रह दिवस विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर तीस कार्य दिवस पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.